"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2017 —— श्रावण 4, शक 1939

### कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2016-17/973 .—— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. 76/छ. ग.-वि. स./2013, दिनांक 18-07-2017 के द्वारा विधान सभा आम चुनाव-2013 में जिला बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घाषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(डी. डी. सिंह)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2017 —27 आषाढ़, 1939 (शक)

## आदेश

संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2013.— यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :-

### सारणी

| क्रम सं. (1) | निर्वाचन का विवरण (2) | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (3) | अभ्यर्थी का नाम व पता (4) | निरर्हता का कारण (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013 | 31-बेलतरा | अशोक शान्डे, ग्राम - भाडी, पोस्ट आफिस खैरा (डगनिया) तह. व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे. |
| 2. | -वही- | 61-गुण्डरदेही | बाबूलाल सिन्हा ग्राम व पो. कलंगपुर, तहसील गुण्डरदेही, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ | -वही- |
| 3. | -वही- | -वही- | राजेश कुमार शर्मा महाराज म. क्र. 2/12/1, सेक्टर 5, सड़क 1, गॉव बोरिया तह. दुर्ग जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ | -वही- |
| 4. | -वही- | 74 -डोंगरगढ़ (अ. जा.) | दिलीप कोसरे ग्राम गिधवा पो. उपरवाह तह. व जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ | -वही- |

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 18th July, 2017 —27 Ashadha, 1939 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :-

TABLE

| S. No. | Particulars of Election | Number & Name of the Assembly Constituency | Name & Address of the Candidate | Reason of disqualification |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh | 31-Beltara | Ashok Shande Village Bhaadi, Post Office Khaira (Danganiya) Tah & Dist. Bilaspur, Chhattisgarh. | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -Do- | 61-Gunderdehi | Babulal Sinha Village & Post Kalangpur, Tahsil-Gunderdehi Distt-Balod, Chhattisgarh. | -Do- |
| 3. | -Do- | -Do- | Rajesh Kumar Sharma Maharaj House No. 2/12/1, Sector 5, Street 1, Village Boriya, Tahsil Durg, Chhattisgarh. | -Do- |
| 4. | -Do- | 74-Dongargarh (SC) | Dilip Kosre Vill. Gidhva, Post-Uparvah, Th. & Distt.- Rajnandgaon, Chhattisgarh. | -Do- |

By Order,

Sd/-

**( K. N. Bhar)**

Principal Secretary,

Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.